भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 5089

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015/4 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

<u>आर्थिक कार्यकलापों में रीति-रिवाजों और परंपराओं की भूमिका</u>

5089. श्री विनसेंट एच. पाला :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक कार्यकलापों में उत्तर-पूर्व (एनई) क्षेत्र के रीति-रिवाजों और परंपराओं की भूमिका से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो देश के कारपोरेट कानूनों में इन्हें किस हद तक शामिल किया गया है, ताकि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोगों द्वारा आर्थिक कार्यकलाप कानूनों और उनके रीति-रिवाजों के अनुरूप किए जाएं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख) : भारत का संविधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न समुदायों/जातीय समूहों के समृद्ध रीति-रिवाजों, परंपराओं तथा संस्कृति को मान्यता प्रदान करता है। केन्द्र तथा राज्य भी, तदनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की जीवनचर्या से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्कीमें तथा विकास कार्यक्रम बनाते हैं, जिनमें अनेकों आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 में सीमित दायित्व के साथ व्यावसायिक कार्यकलापों के संचालन के लिए एक आधुनिक फ्रेमवर्क का प्रावधान है तथा यह सिक्किम राज्य को छोड़कर, क्योंकि सिक्किम में कंपनी रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 लागू है, सभी राज्यों में समान रूप से लागू है।

*****